

स्वास्थ्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची।

E-Mail: - Jhr.healthdirector4@gmail.com



सं०सं०-स्वा०नि०/23/मु०स्था०-39/2026- 1273(23)

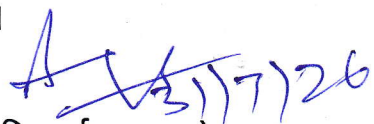
राँची, दिनांक:- 31/07/2026

आदेश

दिनांक 28 जुलाई 2026 को सम्पन्न स्थापना समिति, स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार स्थानान्तरण हेतु अनुशंसित निम्नलिखित कर्मियों को उनके नाम के सामने कॉलम- 03 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम- 04 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं०	कर्मि का नाम/ पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री साधु मंडल लिपिक	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, संधाल परगना प्रमण्डल, दुमका।	फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दुमका।	अभ्यावेदन के आधार पर।
02	श्री अभय कुमार लिपिक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेरहंज, लातेहार।	शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग।	तथैव।
03	श्रीमती भारती वर्मा लिपिक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरली, दारु, हजारीबाग।	शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग।	तथैव।
04	श्री दीपक कुमार लिपिक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौपारण, हजारीबाग।	शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग।	तथैव।
05	श्री भवेश कुमार लिपिक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरेमो, बोकारो।	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कतरास, बाघमारा, धनबाद।	तथैव।
06	श्री राकेश चौधरी निम्न वर्गीय लिपिक	कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र, तेतुलमारी, धनबाद।	जिला फाइलेरिया नियंत्रण इकाई, धनबाद।	तथैव।
07	श्रीमती बबीता कुमारी ए०एन०एम०	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्दवारा, कोडरमा।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटकमसांडी, हजारीबाग।	तथैव।
08	श्री अजय राम स्वास्थ्य सेवक	रेफरल अस्पताल, गारु, लातेहार।	रेफरल अस्पताल, नगर उँटारी, गढ़वा।	तथैव।
09	श्री संजुत कुमार सहाय लिपिक	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जीतपुर, गोमो, तोपचांची, धनबाद।	सिविल सर्जन कार्यालय, धनबाद।	तथैव।
10	श्री धर्मेन्द्र कुमार, लिपिक	सामुदायिक स्वा० केन्द्र, चैनपुर, पलामू	मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मेदिनीनगर, पलामू।	तथैव।
11	श्री शैलेन्द्र कुमार, लिपिक	जिला मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय, हजारीबाग।	क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय, हजारीबाग।	तथैव।
12	मो० सजाद आलम, लिपिक	क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय, हजारीबाग।	जिला मलेरिया पदाधिकारी कार्यालय, हजारीबाग।	तथैव।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाग से लागू होगा।
3. अभ्यावेदन पर स्थानान्तरित किये गये कर्मियों को स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
4. नियंत्री पदाधिकारी स्थानान्तरित कर्मियों को दिनांक 14.08.2026 तक निश्चित रूप से विरमित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा दिनांक 17.08.2026 के पूर्वाह्न से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।
5. स्थानान्तरित स्थल पर पद रिक्त नहीं रहने पर संबंधित कर्मियों का पदस्थापन संबंधित जिले के सिविल सर्जन/नियंत्री पदाधिकारी अपने स्तर से नियंत्रणाधीन रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित करते हुए इसका अनुमोदन स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानान्तरित कर्मियों का पूर्व पदस्थापित स्थान से उनके पदस्थापन के संबंध में सत्यापित कराना सुनिश्चित करेंगे। स्थानान्तरित कर्मियों के द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर निर्धारित तिथि तक योगदान करने अथवा नहीं करने वाले कर्मियों की सूचना स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड को दिनांक 20.08.2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. स्थानान्तरित कर्मियों का माह- अगस्त 2026 का वेतन नव-पदस्थापित स्थान से देय होगा। स्थानान्तरण आदेश की सम्पुष्टि के उपरान्त ही वेतनादि का भुगतान किया जाय। सम्पुष्टि के बिना वेतनादि का भुगतान किये जाने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
8. स्थानान्तरित कर्मियों यदि पूर्व से अन्य संस्थान में प्रतिनियुक्त हैं तो उनकी प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. उक्त स्थानान्तरण हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिव से अनुमोदन प्राप्त है।

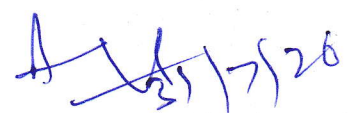

 (डॉ०सिद्धार्थ सान्याल)
 निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
 झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:-स्वा०नि०/23/मु०स्था०-39/2026- 1273(23) राँची, दिनांक:-31/07/2026

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज/मेडिकल कॉलेज अस्पताल, झारखण्ड/ संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड/सभी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी संबंधित उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/ अनुमण्डलीय अस्पताल, झारखण्ड/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


 निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
 झारखण्ड, राँची।